UPHR010029782021

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।

उपस्थित– **ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code– UP1574

विशेष परीक्षण संख्या– 662/2021

राज्य ..... अभियोगी

प्रति

पंकज विश्वकर्मा पुत्र रमेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम पुरवा, थाना बघौली, जिला हरदोई

.....अभियुक्त

अपराध संख्या– 190/2021
धारा– 363, 366 IPC,
एवं धारा 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act,
थाना–बघौली, जिला–हरदोई
अधिवक्ता अभियोजन पक्ष–श्री अमित मिश्रा,
(विशेष लोक अभियोजक)
अधिवक्ता प्रतिरक्षा पक्ष– जुगुल किशोर एड०

निर्णय

थाना बघौली, जनपद हरदोई की पुलिस द्वारा, अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा के विरुद्ध, मुकदमा अपराध संख्या–190/2021, अंतर्गत धारा–363, 366 भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act में विचारणार्थ न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रथम सूचनादाता प्रार्थी प्यारेलाल पुत्र छोटेलाल पासी निवासी ग्राम नकुडा, थाना बघौली, जिला हरदोई में इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी कि– *"दिनांक 28..03.2021 को सांय काल समय लगभग आठ बजे मेरी पुत्री मोनिका उम्र 14 वर्ष को ग्राम पुरवा, थाना बघौली, निवासी पंकज विश्वकर्मा पुत्र रमेश विश्वकर्मा शादी करने के नियत से बहला फुसलाकर भगा ले गया था। मैंने थाना बघौली में प्रार्थना पत्र देकर*

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.09.11 11:07:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुकदमा लिखवाया। वाद लिखवाने मुकदमा हम लोग अपनी पुत्री को तलाश करते हुए जब पंकज के घर में मौजूद मिली। जब हम लोग अपनी पुत्री मोनिका को अपनी साथ लाना चाहे तो घर पर मौजूद पंकज विश्वकर्मा अपशब्दो का प्रयोग करते हुए भाग गया। पंकज के घर से जाने के बाद हम लोग अपनी पुत्री मोनिका को लेकर आये है।"

वादी की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर, थाना बघौली में प्राथमिकी, अपराध संख्या 190/2021, अंतर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act, अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा के विरूद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि GD में की गयी।

विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 363, 366 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act के विवरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

आदेश, दिनांकित 16–10–2021 के माध्यम से अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा के विरुद्ध अंतर्गत धारा 363, 366 भा०द०सं० एवं धारा 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act के अन्तर्गत, आरोप विरचित किया गया।

अभियुक्त द्वारा आरोपों को अस्वीकार करते हुए विचारण की मांग की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्यस्वरूप, निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क्रम सं०	साक्षी सं०	नाम साक्षी	साक्षी का प्रकार
1.	PW–1	प्यारेलाल	वादी मुकदमा
2.	PW–2	मोनिका	पीड़िता

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य कोई साक्षी परीक्षित नही कराया गया।

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित,अभिलेखीय प्रपत्रों को प्रस्तुत कर, सिद्ध कराये गये–

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श	सिद्धकर्ता
1.	तहरीर वादी	प्रदर्श क–1	PW–1
2.	धारा164 द०प्र०सं०	प्रदर्श क–2	PW–2

आदेश, दिनांकित 23–08–2026 के माध्यम से, अभियुक्त का अभिकथन अन्तर्गत धारा– 313 द०प्र०सं०, लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोग झूठा होने, वादी PW–1, द्वारा झूठी गवाही देने का कथन किया गया तथा PW–2 के साक्ष्य को झूठा होना कहा।

अतिरिक्त कथन में अभियोग गांव की रंजिशवश झूठा फंसाये जाने और स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया गया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना किया।

अभियुक्त की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा निम्नवत हैं–

PW–1 वादी प्यारेलाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से कथन किया गया है कि– मैं अनुसूचित जाति में पासी जाति का हूं। हाजिर अदालत अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा लोहार जाति में पिछडी जाति का है, यह पुरवा गांव के रहने वाले है। घटना दिनांक 28.03.2021 को समय शाम आठ बजे की है। मेरी पुत्री मोनिका बिना बताये घर से कहीं चली गयी जिसको काफी ढूंढा व रिश्तेदारी में तलाश किया जब नहीं मिली तो मैंने थाना जाकर थाने के बाहर बैठे एक व्यक्ति से दरखास्त लिखाकर पढ़कर सुनकर अपना निशानी अंगूठा लगाकर शक के आधार पर प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था जो शामिल पत्रावली मूल रूप में है। प्रार्थना पत्र को पढ़कर साक्षी को सुनाया गया तो साक्षी ने कहा यह वहीं प्रार्थना पत्र जो मैंने पर दिया था। मैं इसकी सत्यता की तस्दीक करता हूं। इस पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। मेरी पुत्री के सरकारी अस्पताल हरदोई में डॉक्टरी भी हुई थी। मेरी लड़की की उम्र घटना के समय लगभग 18 वर्ष हो चुकी थी। मेरी पुत्री को हाजिर अदालत पंकज विश्वकर्मा बहला फुसलाकर भगा कर नहीं ले गये थे।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी PW–1 का कथन है कि– साक्षी को धारा 164 द०प्र०सं० का बयान "मेरी लड़की मुझे व मेरी पत्नी को बिना बताये गुस्सा होकर अपनी बड़ी बहन किरन के घर चली गयी थी, लोगों के कहने व बहकावे में आकर मैंने पंकज विश्वकर्मा के विरूद्ध थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। पंकज विश्वकर्मा मेरी लड़की को बहला फुसलाकर या शादी करने की नियत से नहीं ले गया था और न ही मुझे व मेरी लड़की को किसी प्रकार का जाति सूचक अपशब्द ही कहा था।"

PW–2 साक्षी/पीड़िता मोनिका ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि– मैं पासी जाति की हूं। अभियुक्त लोहार जाति का है। आज से करीब तीन साल पहले की बात हैं, मेरा मेरी मम्मी से घरेलू काम काज को लेकर वाद विवाद व कहा सुनी हुई थी। मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा था जिससे गुस्सा होकर अपनी बहन के घर चली गई थी। मेरी बहन ने समझा बुझाकर 3–4 दिन बाद घर भेज दिया था, आकर पता चला कि पापा ने गांव वालों के बहकावे में आकर रिपोर्ट लिखा दी है। पंकज मुझे नहीं ले गया था, न उसने मेरे साथ कोई गलत काम, न गाली दी, न जाति सूचक शब्द कहे। इस स्तर पर एक सील्ड लिफाफा 164 द०प्र०सं० खोला गया जिसमें से एक बयान निकला जिस पर लगी फोटो एवं हस्ताक्षर की साक्षी ने पुष्टि की। साक्षी को धारा 164 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो यह बयान मैंने पुलिस वालों के दबाव में दिया था। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

प्रतिपरीक्षा में PW–2 का कथन है कि– साक्षी को धारा 164 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो कहा ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया कैसे लिख लिया मैं नहीं पता सकती। मेरी मम्मी से गुस्सा होकर बहन के घर जाने वाली बात पुलिस को भी बताई थी, यदि मेरे बयानों में यह बात न लिखी हो तो इसकी वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मुल्जिम के डर व भय से सही बात नहीं बता रही। मेरी मां कालिन्द्री का एक वर्ष पूर्व बीमारी के कारण स्वर्गवास हो चुका है। जब

मेरी प्राइमरी स्कूल मे नाम लिखा गया तब मेरे घर से कोई लिखाने नहीं गया था। मास्टर साहब ने अन्दाज से मेरी उम्र लिख दी थी। जब मेरा नाम स्कूल में लिखा गया तब मैं 9–10 साल की थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तर्को को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन का यह कथन है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 28..03.2021 को सांय काल समय लगभग आठ बजे मेरी पुत्री मोनिका को पंकज विश्वकर्मा शादी करने के नियत से बहला फुसलाकर भगा ले गया था। मैंने थाना बघौली में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखवाया। वाद लिखवाने मुकदमा हम लोग अपनी पुत्री को तलाश करते हुए जब पंकज के घर में मौजूद मिली। जब हम लोग अपनी पुत्री मोनिका को अपनी साथ लाना चाहे तो घर पर मौजूद पंकज विश्वकर्मा अपशब्दो का प्रयोग करते हुए भाग गया। अतः अभियुक्त को दण्डित किया जाये।

प्रतिरक्षा पक्ष का यह कथन है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नही हैं। अतः अभियुक्त को लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाय।

निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू०–1 प्यारेलाल जो कि वादी हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक घटना दिनांक 28.03.2021 को समय शाम आठ बजे की है। मेरी पुत्री मोनिका बिना बताये घर से कहीं चली गयी जिसको काफी ढूढा व रिश्तेदारी में तलाश किया जब नहीं मिली तो मैंने थाना जाकर थाने के बाहर बैठे एक व्यक्ति से दरवाखत लिखाकर पढ़कर सुनकर अपना निशानी अंगूठा लगाकर शक के आधार पर प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था। मेरी पुत्री के सरकारी अस्पताल हरदोई में डॉक्टरी भी हुई थी। ***"मेरी लड़की की उम्र घटना के समय लगभग 18 वर्ष हो चुकी थी। मेरी पुत्री को हाजिर अदालत पंकज विश्वकर्मा बहला फुसलाकर भगाकर नहीं ले गये थे।"*** इस साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी परन्तु अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य प्रकट नही हुआ जो अभियोजन कथानक को बल प्रदान करता हो।

पी०डब्लू०–2 मोनिका जो कि पीड़िता हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा ***"मेरा मेरी मम्मी से घरेलू काम काज को लेकर वाद विवाद व कहा सुनी हुई थी। मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा था जिससे गुस्सा होकर अपनी बहन के घर चली गई थी। मेरी बहन ने समझा बुझाकर 3–4 दिन बाद घर भेज दिया था, आकर पता चला कि पापा ने गांव वालों के बहकावे में आकर रिपोर्ट लिखा दी है। पंकज मुझे नहीं ले गया था, न उसने मेरे साथ कोई गलत काम, न गाली दी, न जाति सूचक शब्द कहे।"*** इस साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी परन्तु अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य प्रकट नही हुआ जो अभियोजन कथानक को बल प्रदान करता हो।

साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से प्रत्यक्ष है कि अभियोजन–वादी साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा के विरूद्ध दिनाक 28.03.2021 को वादी मुकदमा पुत्री/पीडिता का न तो अपहरण किया एवं एवं न ही उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ विवाह या अवैध संभोग करने के लिए विवश किया गया एवं सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्द का प्रयोग करके अपमानित करने के

तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा को विशेष परीक्षण संख्या– 662/2021, थाना बघौली, जिला हरदोई के मामले में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366 भा०दं०सं० एवं धारा 3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु धारा **481 BNSS** के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किये गये। उपरोक्त बंधपत्र की वैधता एवं बाध्यता 06 माह तक रहेगी।

दिनांकः 07–09–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई।
ID–U.P.1574

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 07–09–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई।
ID–U.P.1574